मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
====

क्रमांक 314 /1103/1(3)/81 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 1981.

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।
======

विषय:- अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

==x==

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि इस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्य रूप से मिलने वाले आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त एक वर्ष में सात दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जावे:-

(1) अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करने के लिए वही अधिकारी सक्षम होगा जिसे सामान्य आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(2) अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की गणना सामान्य आकस्मिक अवकाश के समान ही कलेंडर वर्ष अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच की जाएगी। यह निर्णय दिनांक 1 जनवरी, 1981 से प्रभावशील माना जाएगा अत: अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को इस वर्ष भी इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा।

क्रमश: 2

§3§ अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ शासकीय सेवकों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ होने की दशा में ही प्राप्त होगा बशर्ते कि वह इस क्षेत्र में कम से कम 6 माह की सेवा पूरी कर चुके हों ।

§4§ अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ केवल उन्हीं शासकीय सेवकों को मिलेगा, जो अपने निवास स्थान से कम से कम 20 किलो मीटर की दूरी पर नियुक्त हो । ऐसे व्यक्तियों को उक्त लाभ नहीं मिलेगा जो अपने ही विकास खण्ड में नियुक्त हों, भले ही वह अपने निवास से 20 किलोमीटर के दूरी पर पदस्थ क्यों न हो ।

3/ इस ज्ञापन में प्रयुक्त शब्द " अनुसूचित क्षेत्र " से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये गये "अनुसूचित क्षेत्र" से है । सुलभ संदर्भ के लिए वर्तमान "अनुसूचित क्षेत्र" की सूची संलग्न है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
तथा आदेशानुसार

23/7/81
§ एस० के० चतुर्वेदी §
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्र० 315 /1103/1§3§/81 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 1981

प्रतिलिपि:-

1- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल,

2- राज्यपाल के सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

3- मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

§ के० एन० श्रीवास्तव §
अवर सचिव

खान/2378